न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/36/2024 वाद

दायर दिनांक 28.03.2024

1. नाराणी बाई पत्नी ओमप्रकाश जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी कीरखेड़ा (हथियाना) तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।

उनवान

1. भैरा पुत्र जालम जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
2. कैलाशी पत्नी कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
3. नन्दलाल पुत्र कजोड़ जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
4. प्रेमी पुत्री कजोड़ जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
5. भैरी पुत्री कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
6. रामकन्या पुत्री कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
7. रामी पत्नी कजोड़ जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
8. लीला पुत्री कजोड़ जाति चमार आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
9. वरदी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति नायक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)
10. उपपंजीयक अधिकारी कपासन तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
11. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
12. पटवारी पटवार हल्का उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
13. चितौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि० शाखा कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
15. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर चौहान —वादीया
एकतरफा —प्रतिवादीगण

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़)

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः **19.11.2025**

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा उचनार खुर्द पटवार हल्का उचनार खुर्द तहसील कपासन के हल्के बेरूनी में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 9 की संयुक्त सामलाती खातेदारी की आराजीयात जिसके खाता सं. 287 से दर्ज हाल आराजी सं. 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807 कुल किता 08 कुल रकबा 3.04 स्थित हैं। अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बटवाड़ा आराजीयात की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद कॉलम 1 में वर्णित आराजीयात में से वादीया का 1/4 हिस्सा मौके कब्जे अनुसार वटवाड़ा कर अलग जमाबन्दी लगानबन्दी दर्ज कराई जाना फरमावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 , 13 से 15 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में आज दिनांक 19.12.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 से प्रस्तुत की गई। जो

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौडगढ

शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 19.11.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा उचनार खुर्द पटवार हल्का उचनार खुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 9 की संयुक्त सामलाती खातेदारी की आराजीयात जिसके खाता सं. 287 से दर्ज हाल आराजी सं. 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807 कुल किता 08 कुल रकबा 3.04 स्थित हैं में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है—

1. नाराणीबाई पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण जाति भांबी सा0 कीरखेडा हथियाना खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण रहन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	796/1	0.5450	वा 2
2	802/1	0.1800	वा 3
योग	कुल किता—02	0.7250	

2. कैलाशी पत्नी कालु हिस्सा 1/60 जाति चमार सा0 देह खातेदार, नन्दलाल पुत्र कजोड हिस्सा 1/20 जाति चमार सा0 देह खातेदार, नाराणीबाई पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/4 जाति भांबी सा0 कीरखेडा हथियाना खा. रहन हिस्सा 1/4 पूर्ण रहन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कपासन , प्रेमी पुत्री कजोड हिस्सा 1/20 जाति चमार सा0 देह खातेदार, भेरा पुत्र जालम हिस्सा 1/4 जाति चमार सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा 1/4 पूर्ण खाता चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कपासन, भेरी पुत्री कालु हिस्सा 1/60 जाति चमार सा0 देह खातेदार, रामकन्या पुत्री कालु हिस्सा 1/60 जाति चमार सा0 देह खातेदार, रामी पत्नी कजोड हिस्सा 1/20 जाति चमार सा0 देह खातेदार, लीला पुत्री कजोड हिस्सा 1/20 जाति चमार सा0 देह खातेदार, वरदी देवी पत्नी रामचन्द्र हिस्सा 1/4 जाति नायक सा0 हथियाना खातेदार रहन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	800/2	0.0325	चाही 3
2	801	0.0400	आ0 चा0
3	802/2	0.0350	बा 2
4	807/2	0.0325	बा 3
योग	कुल किता—04	0.1400	

3. वरदी देवी पत्नी रामचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति नायक सा0 हथियाना खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना, भेरा पुत्र जालम हिस्सा 1/3 जाति चमार सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण खाता चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कपासन, कैलाशी पत्नी कालु हिस्सा 1/45 जाति चमार सा0 देह खातेदार, भेरी पुत्री कालु हिस्सा 1/45 जाति चमार सा0 देह खातेदार, रामकन्या पुत्री कालु हिस्सा 1/45 जाति चमार सा0 देह खातेदार, नन्दलाल पुत्र कजोड हिस्सा 1/15 जाति चमार सा0 देह खातेदार, प्रेमी पुत्री कजोड हिस्सा 1/15 जाति चमार सा0 देह खातेदार, रामी पत्नी कजोड हिस्सा 1/15 जाति चमार सा0 देह खातेदार, लीला पुत्री कजोड हिस्सा 1/15 जाति चमार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	807/3	0.0375	बा0 2
2	796/2	0.1550	बा0 2
3	802/1	0.0850	बा0 2
4	800/1	0.4575	चा0 3
5	799	0.5200	चा0 3
6	798	0.5200	बा0 2
7	797	0.4000	चा0 3
योग	कुल किता—07	2.1750	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुखालेका)
(सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन